

**सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग**

क्रमांक : प्रस्था/राज./2020/ 3900-40

जयपुर, दिनांक : 20.4.2020

22-4-2020

**कार्यालय आदेश**

राज्य सरकार के गृह (ग्रुप-9) विभाग की दिनांक 22.03.2020 की अधिसूचना के द्वारा सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को आवश्यक सेवाओं की श्रेणी में रखा है। उक्त आदेश के तहत इस विभाग के कर्पूरग्रस्त इलाके के अधिकारियों को छोड़कर शेष समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 20.4.2020 से कार्यालय में निर्धारित समय पर नियमित रूप से उपस्थित होकर राजकीय कार्य सम्पादित करें। इस सम्बन्ध में यह भी निर्देशित किया जाता है कि कार्यालय में कोरोना से बचाव हेतु राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा जारी गाइड लाईन का एवं सामाजिक दूरी सम्बन्धी मापदण्डों का सख्ती से पालन करेंगे तथा अनिवार्य रूप से मास्क पहनेंगे।

शाखा प्रभारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को आवश्यकता होने पर कार्यालय में बुला सकेंगे।




**आयुक्त**

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,  
राजस्थान, जयपुर

**प्रतिलिपि :**

1. निजी सचिव, आयुक्त, सूजस।
2. अतिरिक्त निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक, प्रशासन
3. अतिरिक्त निदेशक, सुजस/क्षेत्रीय प्रचार।
4. संयुक्त निदेशक, समाचार शाखा।
5. प्रभारी, मुख्यमंत्री जनसम्पर्क प्रकोष्ठ
6. समस्त शाखाधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने अधीनस्थ अधिकारियों की नियमित रूप से कार्यालय समय में उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे।
7. गार्ड फाईल।



**अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)**